UPAG040367292019

<u>न्यायालय सिविल जज जू0 डि0/त्वरित न्यायालय, न्यायालय सं01, आगरा।</u>

उपस्थितिः नैन्सी तिवारी (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा)

<u>J.O. Code- UP03408</u>

परिवाद सं0- 8675/2019

श्रीमती डोरिस जॉन पत्नी परिणित परमार पुत्री श्री इमेनुअल जॉन, निवासी- 23/271, वजीरपुर, जिला आगरा।

....................प्रार्थिया

बनाम

1. परिणित परमार पुत्र प्रकाश परमार (पति)
2. शारदा परमार पत्नी श्री प्रकाश परमार (सास)
3. प्रकाश परमार पुत्र स्व० भेरूलाल परमार (ससुर)
4. प्रशंसा परमार पत्नी श्री मृणाल नकुल (ननद)

समस्त निवासीगण- म० स० 13, चिचानी कॉलोनी, नागदा गली, स्टेशन रोड, मंदसौर, मध्यप्रदेश।

.........................प्रत्यर्थीगण

धारा- 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम

थाना- हरिपर्वत, जिला आगरा।

<u>निर्णय</u>

1. प्रार्थिया श्रीमती डोरिस जॉन की ओर से प्रत्यर्थीगण परिणित परमार, शारदा परमार, प्रकाश परमार व प्रशंसा परमार के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रार्थिया की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थिया डोरिस की शादी दि० 21.12.2015 को ईसाई रीति रिवाज के अनुसार परिणित परमार पुत्र प्रकाश परमार के साथ सम्पन्न हुई थी, जिसमे वादिया के माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार प्रतिवादी व उसके परिवारीजनो की मांग पर दान दहेज़ दिया था और लगभग 5 लाख रूपये खर्च किये थे। विवाह से पूर्व व विवाह के पश्चात दोनों पक्ष ईसाई धर्म से शासित होते रहे। विवाह के पश्चात वादिया प्रतिवादी के साथ पत्नी के रूप में रही और अपने समस्त वैवाहिक उत्तरदायित्वों को निभाया और उक्त विवाह से प्रार्थिया ने दिनांक-27.10.2016 को एक पुत्र मा० एड्रिएल को जन्म दिया जो इस समय करीब ढाई साल का है जो प्रार्थिया की अभिरक्षा में रह रहा है। यह कि प्रतिवादी स्वभाव से बहुत ही हिंसक, क्रूर, निर्दयी, गैर संस्कारी और बदमिजाज प्रवृत्ति का व्यक्ति है और बहुत ही लालची है, उसने विवाह के कुछ दिन बाद ही प्रार्थिया से कह दिया कि तू प्राइवेट नौकरी कर। तब प्रार्थिया ने वैवाहिक जीवन बचाने की खातिर मंदसौर में ससुराल में रहने के दौरान प्राइवेट नौकरी की और प्रार्थिया को जो वेतन के रूप में धनराशि मिलती थी उसे प्रतिवादी जबरन

मारपीट कर के प्रार्थिया से जबरन छीन लेता था और अपने शौक मौज में खर्च कर देता था। जबकि प्रार्थिया एक-एक रुपये के लिए मोहताज रहती थी। यह कि प्रार्थिया की दिनांक-11.06.2018 को मथुरा रिफाइनरी, हॉस्पीटल में सीनियर स्टाफ नर्स के रूप में नौकरी लग गयी और प्रार्थिया को क्वार्टर संख्या-1/54, मथुरा रिफाइनरी नगर, मथुरा आवंटित हुआ। प्रार्थिया अपने छोटे बच्चे के साथ उपरोक्त क्वार्टर में रहने लगी और छोटे बच्चे की देखभाल की खातिर प्रार्थिया ने अपने पिता को आगरा से मथुरा बुला लिया। यह कि प्रार्थिया की सरकारी नौकरी लगने के बाद प्रतिवादी के मन में और अधिक लोभ लालच आ गया। वह एक दो माह बाद मन्दौर से मथुरा प्रार्थिया के पास आ जाता था और प्रार्थिया से कहता था कि वेतन के सारे रूपये मुझे दे। प्रार्थिया द्वारा विनम्रता से इनकार करने पर वह प्रार्थिया को हिंसक तरीके से मारता पीटता था और पशु के समान व्यवहार किया करता था। यह कि प्रतिवादी के मानसिक व शारीरिक क्रूरतापूर्ण कृत्यों के कारण प्रार्थिया को गहरा मानसिक व शारीरिक कष्ट होता था। किसी भी तरह प्रार्थिया परिवार को टूटने से बचाने के लिए प्रतिवादी के हिंसक व पशुवत व्यवहार को सहती रही। यह कि दिनांक-03.03.2019 को प्रतिवादी मंदसौर से 1/54, मथुरा रिफाइनरी नगर, मथुरा में आया और रात्रि में प्रार्थिया से अप्राकृतिक तरीके से संभोग करने की कहने लगा तब प्रार्थिया ने दृढ़ता से इनकार किया तो प्रतिवादी ने जबरन ताकत के बल पर प्रार्थिया को मारापीटा और अप्राकृतिक तरीके से सहवास जबरन किया, प्रार्थिया पीड़ा और दर्द से पूरी रात छटपटाती रही और प्रार्थिया को लगभग 15 दिनों तक दवा लेनी पड़ी और प्रतिवादी दिनांक 04.03.2019 को प्रार्थिया से यह कहकर मंदसौर चला गया कि मैं तो ऐसे ही अप्राकृतिक तरीके से हर बार शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करूँगा, यदि तेरी जान भी चली जाएगी तो तेरे मरने के बाद पति होने के कारण मुझे तेरी नौकरी मिल जाएगी। अब प्रतिवादी लगातार धमकियाँ दे रहा है कि या तो अपनी तनख्वाह में से 30,000/- रु० प्रतिमाह मुझे दे नही तो मैं बच्चे को जबरन उठाकर ले जाउगा और तेरे साथ इसी तरह से मारपीट व क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता रहूँगा। दिनांक-16.04.2019 को प्रतिवादी वादिनी के क्वार्टर संख्या-1/54, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा में प्रार्थिया के पास आया और प्रार्थिया से वेतन में से जोड़ी गयी धनराशि को मांगने लगा, न देने पर प्रतिवादी ने वादिनी को बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देकर अपमानित किया और रात्रि में प्रतिवादी ने प्रार्थिया के साथ जबरन ताकत के बल पर हिंसक तरीके से अप्राकृतिक सहवास किया। रात भर वादिनी दर्द एवं पीड़ा से छटपटाती रही। यह कि दिनांक 18.04.2019 को पुनः प्रतिवादी ने प्रार्थिया के बाल पकडकर तथा कपडे फाड़कर बुरी तरह से मारपीट की। चीख पुकार सुनकर प्रार्थिया के पिता ने प्रार्थिया को बमुश्किल बचाया और सभी के सामने गंदी गालियाँ दी और हद दर्जे का अपमान किया। तब प्रार्थिया ने दिनांक 19.04.2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत पत्र भेजा। यह कि प्रतिवादी के क्रूरतापूर्ण कृत्यों के कारण प्रार्थिया का जीवन दुखो से भर गया है और प्रतिवादी के हाथो अपनी जान का गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। पक्षकारो का वैवाहिक जीवन पूर्णतः समाप्त हो गया है। उपरोक्त वर्णित कथनों के आधार पर वादिया द्वारा न्यायालय से वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

3. प्रत्यर्थी सं0-1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिया के अधिकांश कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया है कि प्रार्थिया के द्वारा दाखिल परिवाद पत्र की मद संख्या-1 एंव उसकी उपमद-क लगायत च में मांगे अनुतोष/संरक्षण आदेश, विपक्षी द्वारा दिये गये लिखित कथन/जबाब के तथ्यों के आधार पर कतई पाने की अधिकारी नहीं है। यह कि विपक्षी संख्या-1 एंव उसके किसी भी परिजन द्वारा प्रार्थिया के साथ आवेदन में वर्णित किसी प्रकार की हिंसा कारित नहीं की गयी है। प्रार्थिया के द्वारा उक्त तथ्य मात्र परिवाद पत्र को रंगत देने के उद्देश्य से वर्णित किये गये हैं और प्रार्थिया के द्वारा मांगे गये अनुतोष / संरक्षण आदेश, विपक्षी द्वारा दिये गये लिखित कथन / जबाब के तथ्यों के आधार पर कतई पाने की अधिकारी नहीं है। परिवाद पत्र की मद संख्या-4 की उपमद (i) में प्रार्थिया द्वारा विवाह की दिनांक 21.12.2015 गलत अंकित की गयी है, जबकि सत्यता यह है कि विपक्षी सं0-1 एंव प्रार्थिया का विवाह ईसाई रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 28.12.2015 को कैथोलिक चर्च, सेन्ट पीटर कॉलोनी, चर्च, आगरा पर सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिया का यह कहना भी गलत है कि उसके माता-पिता ने दान-दहेज दिया व पांच लाख रुपये खर्च किये हो। वास्तविक तथ्य यह है कि दोनों पक्षों की ओर से आपस में दान व विवाह इत्यादि मिलकर किया गया था। यह कि विपक्षी संख्या-1 द्वारा अपने पतिधर्म के सभी कर्तव्यों का निर्वहन हमेशा से किया गया है और भविष्य में भी करता रहेगा। वास्तविक तथ्य यह है कि वादिया ने विवाह से पूर्व 10-12 साल से नौकरी की थी और विवाह उपरान्त भी वादिया ने नौकरी कर आत्म निर्भर होने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी और विपक्षी संख्या-1 के द्वारा अपनी पत्नी / वादिया को उसे आत्मनिर्भर बनाने हेतु साथ रहते हुए हमेशा प्रोत्साहित किया गया है। यह कि विपक्षी संख्या-1 लगायत 3 ने मंदसौर, मध्य प्रदेश, के घर में रहते हुए बच्चे की देखरेख स्वंय की और वादिया को पढ़ने व नौकरी की तैयारी हेतु हमेशा सहयोग भी किया गया। वादिया की सन् 2017 में केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर में नौकरी लगने हेतु विपक्षी ने पूर्ण सहयोग किया, जिस कारण वादिया की केन्द्रीय विद्यालय मन्दसौर में नर्स के रूप में नौकरी लग गयी। वादिया ने दिसम्बर 2017 में उपरोक्त नौकरी छोड़कर सिद्धि विनायक हॉस्पीटल में नौकरी कर ली। उपरोक्त समय में विपक्षी अपने छोटे बच्चे की देखरेख करने हेतु छोटी-सी प्राइवेट जॉब कर अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण करने में सहयोग करता रहा। यह कि दिनांक 09 जून 2018 में वादिनी मथुरा रिफाइनरी हॉस्पीटल में नौकरी करने हेतु अपने मायके चली गयी और वादिया की नौकरी मथुरा में लगने के पश्चात् उसके व्यवहार में अत्यधिक परिवर्तन हो गया और वादिया अपने पिता के प्रभाव में रहते हुए विपक्षी व उसके परिवार से अलग रहने की बात करने लगी। परिवाद पत्र की मद संख्या-4 की उपमद-(vi) में वर्णित सभी तथ्य असत्य, मनगढ़न्त व निराधार हैं जो मात्र परिवाद प्रस्तुत करने हेतु गढ़े गये हैं इसलिए स्वीकार नहीं हैं। विपक्षी संख्या-1 ने पति/पिता के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु अपनी पत्नी व बच्चे से मिलने मथुरा जाता रहा जिस पर वादिया द्वारा हमेशा सहमति भी दी गयी। उक्त कम में ही दि० 24.12.2018 को विपक्षी अपनी पत्नी / वादिया और अपने बच्चे को मथुरा से मन्दसौर क्रिसमिस पर एक साथ त्यौहार मनाने व घुमाने के लिए ले गया, तदोपरान्त दिनांक 28.12.018 को विपक्षी एंव वादिया ने मथुरा वापस आकर एक साथ मिलकर अत्यधिक स्नेहपूर्वक अपने विवाह की वार्षिक वर्षगांठ भी मनायी

गयी। वास्तविक तथ्य यह है कि विपक्षी संख्या-1 ने पति/पिता धर्म का निर्वहन करने हेतु वादिया की सहमति से वादिया और अपने बच्चे से लगातार मिलता रहा है किन्तु विपक्षी संख्या-1 ने कभी भी वादिनी के साथ न तो गाली-गलौज की न मारपीट की है और न ही कभी भी अप्राकृतिक कृत्य किया है। यह कि विपक्षी सं०-1 द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को बचाने हेतु प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मंदसौर, मध्य प्रदेश, के न्यायालय में दाम्पत्य संबन्धों की प्रतिस्थापन की घोषणा हेतु एक याचिका प्रस्तुत की, जो विचाराधीन है। वादिया द्वारा उपरोक्त परिवाद प्रस्तुत करने के पश्चात् भी विपक्षी संख्या-1 और वादिनी दिनांक 30.07.019 को न्यायालय में नियत दिनांक में उपस्थिति दर्ज कराने के पश्चात् एक साथ प्रेम पूर्वक समय व्यतीत करते हुए और दोपहर का खाना एक साथ खाते हुए, साथ-साथ मथुरा गये थे, किन्तु वादिया के पिता का व्यवहार विपक्षी के प्रति अत्यधिक रूखा रहा और वादिया से मिलने पर आपत्ति करते हुए विपक्षी को गन्दी गन्दी गालियां दीं और चप्पल से मारने की भी धमकी दी, जिस पर विपक्षी संख्या-1 निराश होकर वापिस चला गया। जबकि सत्यता यह है कि विपक्षी सं0-1 द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को बचाने हेतु प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मंदसौर, मध्य प्रदेश, के न्यायालय में दाम्पत्य संबन्धों की प्रतिस्थापन की घोषणा हेतु एक याचिका प्रस्तुत की, जो विचाराधीन है। जबकि वादिया बिना किसी कारण विपक्षी संख्या-1 का परित्याग किये हुए हैं तथा अपने दाम्पत्य वैवाहिक सम्बन्धों का जानबूझकर निर्वहन नहीं कर रही है। यह कि वादिया पिछले 16 वर्षों से नौकरी कर रही है और वर्तमान में भी सीनियर स्टॉफ नर्स के रूप में कार्यरत् है तथा वह अपना व बच्चे का भरण पोषण करने में पूर्णतः सक्षम व समर्थ है। विपक्षी द्वारा किसी भी प्रकार की कभी भी घरेलू हिंसा कारित नहीं की गयी है। परिवाद पत्र की मद संख्या-6 के सम्बन्ध में कहना है कि विपक्षी संख्या-1 एक छोटी प्राइवेट नौकरी कर अपने वृद्ध माता-पिता एंव अपना भरण-पोषण बमुश्किल कर रहा है। यह कि वादिया द्वारा अकारण ही विपक्षी से अलग रहने, अपने दाम्पत्य सम्बन्धों का निर्वहन न करने और विपक्षी जबाब में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादिया किसी भी प्रकार का अनुतोष / संरक्षण आदेश प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वादिया द्वारा दाखिल वाद सव्यय निरस्त होने योग्य है।

4. वादिया द्वारा अपने कथनो के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र पत्रावली में दाखिल करके स्वयं को बतौर पी०डब्लू० 1 परीक्षित कराया गया है।

5. वादिया द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में शादी का फोटो, आधारकार्ड की छायाप्रति, शादी के प्रमाणपत्र की छायाप्रति, एस०एस०पी० आगरा को प्रेषित शिकायत प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, उक्त शिकायत प्रार्थनापत्र की कोरियर रसीद, स्कूल फीस की रसीद की छायाप्रति, स्कूल वाहन स्वामी का मूल प्रमाणपत्र, एडमिशन रसीद पत्रावली पर दाखिल किये गए हैं।

6. विपक्षीगण द्वारा मौखिक साक्षी के रूप में परिणित परमार को पत्रावली पर परीक्षित कराया गया है तथा उक्त का साक्ष्य शपथपत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

7. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में विपक्षी द्वारा सूची दिनांकित 19.10.2024 से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त घटना के दिनांक से संबंधित सूचना की वास्तविक प्रति, विपक्षी के प्रार्थिया के

साथ बिताए गए समय/महत्वपूर्ण घटनाओं के 12 मूल फोटो, विपक्षी के द्वारा प्रार्थिया को प्रेषित नोटिस दिनांकित 13.05.2019 की छायाप्रति, प्रार्थिया द्वारा विपक्षी को प्रेषित नोटिस का जवाब दिनांकित 23.05.2019 की छायाप्रति, बच्चे से मिलने/अभिरक्षा हेतु माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका संख्या 861/2022 की स्टेटस की डाउनलोड प्रति, परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 03.11.2022 की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, वाद संख्या 790/2019 के वाद पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, परिवार न्यायालय मंदसौर के द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 01.05.2023 व आदेशिका पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि पत्रावली पर दाखिल किए गए हैं।

8. परिवादिया द्वारा स्वयं को पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में परीक्षित कराया है व अपने साक्ष्य शपथ पत्र में परिवाद पत्र के कथानक का समर्थन किया गया है।

उक्त साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि " यह कहना सही है कि मैं और मेरे पति परिणित एक दूसरे को मेट्रीमोनियल साइट के माध्यम से जानते थे। दिनांक 28.12.2025 को हमारा विवाह हुआ था। विवाह से दो महीने पूर्व से हम एक दूसरे को जानते थे। विवाह से पूर्व हम दोनों की फोन पर बातचीत होती थी। विवाह से पूर्व हम मिले भी थे। विवाह हमारी सहमति से हुआ था। उपरोक्त विवाह में हमारी तरफ से घर का सारा सामान सामान भी होता है वह भी दिया गया था। परिणित की तरफ से एक साडी के अलावा कुछ नहीं दिया गया था। यह कहना गलत है कि उक्त विवाह में परिणित की तरफ से कोई ज्वैलरी दी गयी थी। मेरी शादी में ज्वैलरी में अपने खुद की लेकर गयी थी। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया था। शादी के दस माह बाद हमें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जो कि मंदसौर, मध्यप्रदेश में हुआ था। पुत्र की डिलीवरी का सारा खर्चा मेरे पति नें उठाया था। यह कहना सही है कि मैं शादी के बाद जून 2016 मार्च में अपने पति के साथ एग्जाम देने उज्जैन गयी थी। यह भी कहना सही है कि मैने सन 2017 में अपनी ससुराल मंदसौर में 12 वी का एग्जाम दिया था। यह एग्जाम मैने साइंस साइड से दिया था। मुझे ध्यान नहीं है कि मैं मई 2016 में अपने पति के साथ इंदौर नर्स का एग्जाम देने गयी थी। यह कहना सही है कि मैने दिसम्बर 2017 में लखनऊ यूपीएससी का स्टाफ नर्सिंग का एग्जाम दिया था जिसे देने अपने भाई के साथ गयी थी। यह कहना सही है कि मैं जनवरी 2018 में दिल्ली अपने पति के साथ नवोदय विद्यालय का नर्सिंग पोस्ट के लिए एग्जाम देने गयी थी। यह कहना सही है कि मैं अपने पति के साथ दिल्ली में एक साथ बर्गर किंग व सरोजनी नगर गये थे उसका सारा खर्चा मैने उठाया था। मार्च 2018 में मैने पुणे कन्टोनमेन्ट बोर्ड में स्टाफ नर्स का एग्जाम दिया था या नहीं मुझे याद नहीं है। जनवरी 2019 में मैने एम्स में नर्सिंग कोर्स का एग्जाम नहीं दिया था। यह कहना सही है कि मैं जब भी एग्जाम देने गयी थी कुछ समय मेरे पति साथ गये थे और कुछ समय मेरा भाई साथ गया था। यह कहना सही है कि मै जब एग्जाम देने गयी और मेरे पति मेरे साथ नहीं गये तब मेरे बच्चे का ध्यान मेरे पति रखते थे। जब साथ गये तब भी मेरे पति बच्चे का ध्यान रखते थे जब मैं परीक्षा कक्ष में हुआ करती तब वह ही बच्चे का ध्यान रखेंगे। मैने शादी के बाद से नौकरी की है और शादी के पहले भी करती थी। शादी के बाद भी नौकरी करी क्योंकि मेरे पति नौकरी नहीं करते थे। दिनांक 16.04.2019 की रात मैं अपनी नाइट ड्यूटी पर थी। यह

भी सही है कि मैने अपने वाद पत्र व साक्ष्य शपथपत्र के पैरा नं० 9 में दिनांक 16.04.2019 को विपक्षी मेरे घर आया और रात्रि में उसने मेरे साथ गलत काम किया। मुझे याद नहीं है कि मैं दिनांक 15.04.2019 व 16.04.2019 व 17.04.2019 को नाइट ड्यूटी पर थी या नहीं थी। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में मैंने पुलिस को तहरीर दी थी। तारीख मुझे याद नहीं है। घटना के बाद दी थी। उक्त शिकायत पत्रावली पर नहीं है लेकिन मैने शिकायत को पोस्ट किया था। मैने रजिस्टर्ड पोस्ट किया था यह भी मुझे याद नहीं है। मैने यह शिकायत आगरा में की थी कब की थी मुझे याद नहीं है। बाद में कहा कि अप्रैल 2019 में पोस्ट की थी।

मैने शिकयाती प्रार्थनापत्र रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भेजा है। प्राइवेट कोरियर किया था। यह प्रार्थनापत्र मैने SSP आगरा को भेजा था। मेरे द्वारा इस प्रार्थनापत्र में बतायी गयी घटना मुझ पर की है। मैने इस प्रार्थनापत्र के अलावा अन्य कोई प्रार्थनापत्र भेजा हो मुझे याद नहीं है। प्रार्थनापत्र लिखी घटना दिनांक 03.03.2019 रात्रि दस बजे से पहले की है। दिनांक 16.04.2019 की घटित घटना भी रात्रि दस बजे से पहले की है। 18.4.2019 की घटना पूरे दिन की है। तीनो घटनाओं के घटित होने का निश्चित समय मैं नहीं बता सकता हूँ। मैने इन घटनाओं के सम्बन्ध में कोई मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया है यह कहना सही है। मैने उक्त घटना के सम्बन्ध में डॉ राहुल सारस्वत को बताया था। मैं दिनांक 03.03.2019 मैने घटना के सम्बन्ध में डॉ राहुल सारस्वत को बताया था। डॉ राहुल सारस्वत नें मेरा पर्चा लिखा था। मैने उक्त पर्चा पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। ये दाखिल मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पर्चा की मुझे जरूरत पडेगी। मैने पुलिस में घटनाओं की शिकायत की थी पुलिस एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की थी। मैं वकील नहीं हूँ लिहाजा मुझे यह पता नहीं है कि एफ०आई०आर० नहीं लिखने पर क्या कार्यवाही की जाती है। मैने न्यायालय में कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया था परन्तु प्रार्थनापत्र पर मेरा क्रैक्टरी आगरा पर बयान हुआ था। क्रैक्टरी के बयानो की कापी मुझे नहीं मिली थी। मेरे मथुरा आने के बाद मेरे पति परिणित परमार पहली बार मुझसे 12.08.2018 में मिले थे। यह कहना गलत है कि इस दिन मेरे पति नें मुझे सोनाटा की घडी उपहार में दी हो। मुझे याद नहीं है कि मैने अपने पति का जन्मदिन अपने पति के साथ दिनांक 07.09.2018 को मथुरा में एक साथ मनाया हो। यह कहना सही है कि मेरे बच्चे का जन्मदिन 27.10.2018 को मैने अपने पति के साथ मथुरा में एक साथ मनाया था। यह कहना सही है कि 09.11.2018 को बच्चे के खतना के समय मेरे पति मेरे साथ थे यह खतना मैने अस्पताल में पढवाया था। यह कहना सही है कि 25.12.2018 को मैने अपने पति के साथ क्रिसमिस का त्योहार मंदसौर में मनाया था। इस कार्यक्रम के लिए मेरे पति मुझे लेने व छोडने भी गये थे परन्तु टिकट का पैसा मैने ही दिया था। 28.12.2018 को मैने अपने विवाह की वर्षगांठ भी अपने पति के साथ मथुरा में ही मनायी थी। यह कहना सही है कि 2017 को मैने अपने पुत्र का पहला जन्मदिन बडी धूमधाम से मंदसौर मध्यप्रदेश में मनाया था। उसका सारा खर्चा मैने दिया था। यह कहना गलत है कि फरवरी 2018 में मैं अपने पति के साथ मंदसौर में पडोसी वैध जी के कार्यक्रम में गयी हूँ। वर्ष 2019 में मुझे अपने पति से नोटिस नहीं प्राप्त हुआ था। जब मैने डाइवोज का केस फाइल किया था तब मेरे पास वकील के पास में

नोटिस आया था जिसका मैने जबाव दिया था। मुझे याद नहीं है कि उपरोक्त नोटिस के जबाव में मैने अपने साथ घटित घटनाओं का दिनांक का विवाह दिया है या नहीं कियाहै। यह कहना सही है कि मैने अपने व अपने बच्चे के भरण पोषण के सम्बन्ध में कोई मुकदमा आगरा में नहीं किया हो। यह कहना सही है कि दहेज के सम्बन्ध में कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया हो। यह कहना सही है कि मैने 2004 से 2015 तक अलग-अलग अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में नौकरी की हो। यह कहना सही है कि मैने शादी के बाद आज तक लगातार नौकरी की हो। यह कहना सही है कि जब मैने डिवोस का केस फाइल कर दिया था तब मेरे पति ने धारा 9 हिन्दु विवाह अधिनियम का दावा मंदसौर मे किया था। इसके बाद मेरे पति नें धारा 32 में वैवाहिक जीवन एक साथ बिताने के लिए दावा दाखिल किया हो। इस मुकदमें में मैं हाजिर नहीं हूँ लेकिन मेरे पास कोर्ट का नोटिस आया था। तब मैं मन्दसौर उपस्थित होने इसलिए नहीं गयी थी क्योंकि मैने तलाक का मुकदमा दाखिल कर रखा है इस समय मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। धारा 32 में मुकदमें में निर्णय हो चुका है मेरी जानकारी में नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरा विवाह मेरे पति से बिना दान-दहेज के आपसी सहमति से मिल जुलकर खर्चा कर हुआ हो। यह कहना गलत है कि मेरे साथ दिनांक 03.03.2019, 16.04.2019 व 18.04.2019 को कोई भी घटना घटित नहीं हुई हो और मैने झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया हो। यह कहना गलत है कि मेरे पति व उसके परिजनों ने कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं की हो और मैने तलाक लिये जाने हेतु झूठा दावा प्रस्तुत किया हो।"

9. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में परिणित परमार को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य शपथपत्र में अपने कथनों का समर्थन किया गया है।

उपरोक्त साक्षी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि" मेरी और वादिया डोरिस की शादी लव कम अरेन्ज मैरिज थी। शादी तय होने से पूर्व ऑनलाइन फैसबुक चैटिंग हुई थी जिसके माध्यम से शादी तय हुई थई। शादी का प्रस्ताव मेरी और मैं गया था। शादी के समय मेरा कम्प्यूटर व हार्डवेयर का व्यापार था। मेरा व्यापार की संस्था रजिस्टर्ड थी। इस समय मैं यह कम्प्यूटर का व्यवसाय नहीं करता हूँ बल्कि नौकरी करता हूँ। मैने अपने व्यवसाय व नौकरी से सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। जब मेरा विवाह डोरिस के साथ हुआ था उस समय डोरिस शिक्षा ग्रहण (कोर्स बेसिक नर्सिंग) कर रही थी। शादी दौरान वह नौकरी कर और आवश्यकता पडने पर वह शादी के बाद भी नौकरी कर रही थी। मंदसौर मध्यप्रदेश में मैने अपनी पत्नी व बच्चे के लिए बजाज एलाइनस में बीमा कराया था। बीमा कराने का साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है पर मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है। शादी के बाद मेरा मेरी पत्नी से कोई विवाद नहीं है। डोरिस दिनांक 09.06.2018 से अलग रह रही है। जब डोरिस नें मेरा परित्याग किया तो मैने समाज व स्वयं से डोरिस को वापस बुलाने का प्रयास किया। शादी के बाद मैने अपना व्यवसाय बंद कर दिया था यह कहना गलत है। यह कहना भी गलत है कि मैने डोरिस पर नौकरी करने का दबाव बनाया था। यह कहना गलत है कि डोरिस की तनख्वाह मै उससे छीन लेता था और स्वयं कुछ काम नहीं करता था। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा डोरिस के साथ आप्राकृतिक सैक्स

किया जाता था। मेरी जानकारी में नहीं है कि इस कृत्य की शिकायत डोरिस के द्वारा SSP आगरा को की गयी थी। यह कहना गलत है कि मैने डोरिस के साख अप्राकृतिक सैक्स मथुरा में भी किया हो। आज मंदसौर में मेरे व डोरिस के मध्य न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन नहीं है। मंदसौर में दाम्पत्य संबंधों की स्थापना हेतु डोरिस के लिए आदेश हुआ था। इस आदेश होने के बाद मैने कोई कार्यवाही डोरिस के खिलाफ नहीं की। यह कहना गलत है कि मेरे व मेरे परिवारिजनों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर डोरिस के साथ मारपीट, गाली-गलौज, व उसके वेतन छीनना की घटनाकी हो। मैं मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तलाक की अपील में उपस्थित हो रहा हूँ। मैं मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अंतिम बार कब उपस्थित हुआ था लेकिन मैं वहाँ उपस्थित होता रहता हूँ। अपील में मेरा काउण्टर दाखिल हुआ है यह नहीं मेरी जानकारी में नहीं है मेरे अधिवक्ता की जानकारी में होगा। यह कहना गलत है कि मैने अपनी पत्नी व बच्चे का परित्याग जानबूझकर कर रखा है।"

10. जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या पत्रावली पर संलग्न है।

11. वादिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं-

I. यह कि वादिया का पति/प्रतिवादी संख्या 1 अत्यधिक हिंसक, निर्दयी तथा स्वभाव से लालची व्यक्ति है। विवाह के कुछ समय उपरान्त ही उसके द्वारा वादिया से प्राइवेट नौकरी करने हेतु दबाव डाला गया जिसके कारणवश प्रार्थिया को प्राइवेट नौकरी करनी पडी, जिसके पैसे भी वह वादिया से छीन लेता था।

II. वादिया द्वारा अपना कर्तव्य समझकर अपना वैवाहिक जीवन बचाने हेतु निरंतर प्रयास किए गए किन्तु विपक्षी की क्रूरता तथा लालच बढता गया, जिसके कारण विपक्षी द्वारा वादिया के साथ हिंसक व्यवहार किया जाने लगा।

III. वादिया की मथुरा रिफाइनरी हॉस्पीटल में नौकरी लगने के पश्चात विपक्षी द्वारा वादिया के साथ मारपीट करना, वादिया का वेतन छीनना तथा जबरदस्ती अप्राकृतिक संभोग किये जाने जैसे कृत्य किए गए जिससे वादिया को घोर मानसिक व शारीरिक पीडा हुई।

IV. विपक्षी द्वारा वादिया के साथ इस हद तक मारपीट की गई कि वादिया को 15 दिन तक दवा लेनी पडी तथा विपक्षी द्वारा इस प्रकार के अमानवीय कृत्य अनेक बार किए गए। विपक्षी द्वारा इस प्रकार से वादिया के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई।

12. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं-

I. वादिया तथा विपक्षी द्वारा एक दूसरे को जानने के पश्चात पूरे रीति-रिवाज से विवाह किया गया था। विवाह उपरान्त दोनो ही साथ-साथ खुश थे। विवाह उपरान्त दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई।

II. वादिया शादी के पूर्व से ही नौकरी करती थी। शादी के पश्चात उसके द्वारा नौकरी करने की इच्छा व्यक्त की गई तो विपक्षी द्वारा वादिया का पूर्णतः सहयोग किया गया। विपक्षी द्वारा वादिया को परीक्षा दिलाने तथा अपने बच्चे व परिवार का ध्यान रखने में पूर्णतः सहयोग किया गया।

III. यह कि वादिया की नौकरी मथुरा में लगने के पश्चात जबसे वह अपने पिता के साथ रहने लगी तभी से मायके वालो के प्रभाव से वादिया के व्यवाहार में अत्यधिक परिवर्तन हो गया तथा उन्ही के प्रभाव में आकर वादिया द्वारा विपक्षीगण पर झूठे आधार पर यह मुकदमा दाखिल किया गया।

IV. यह कि विपक्षी या उसके किसी परिजन द्वारा वादिया के साथ किसी भी प्रकार का कोई हिंसक व्यवहार नहीं किया गया है।

13. मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना गया व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्न बिन्दुओं को निर्धारित किया जाना आवश्यक हैः-

1. क्या प्रार्थिया व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आती है?
2. क्या प्रार्थिया "साझी गृहस्थी" में विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण के साथ निवास करती थी?
3. क्या प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई?
4. क्या प्रार्थिया विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण से वांछित अनुतोष अंतर्गत धारा 18, 19, 20, 21 व 22 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

भारतीय साक्ष्य अधि० की धारा 101 व 102 के अनुसार वादिनी को अपने अभिकथनों को प्रारम्भिक तौर पर साबित करना होगा। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने **रामचन्द्राचर बनाम श्रीमती देव कुमारी [क्रि०रि०पी० नं०-181/2012 दिनांकित 19.01.2016]** में अभिमत व्यक्त किया है कि "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधि०, के अन्तर्गत की कार्यवाही अर्ध-आपराधिक तथा अर्ध-सिविल प्रकृति की है। परिवादिनी से, आपराधिक मामलों की तरह सभी अभिकथनों को संदेह से परे साबित करने की आशा नहीं की जा सकती है, बल्कि सम्भावनाओं के आधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है। अतः प्रार्थिनी को प्रारम्भिक तौर पर अपने अभिकथनों को साबित करना होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **देव नारायण हलदर बनाम श्रीमती अनुश्री हलदर [2003 क्रि०एल० जे० 4470 (एस.सी.)]** में अभिमत व्यक्त किया है कि "The Court is not permitted to conjecture and surmise. It must base its findings on the evidence produced before it by the parties. The inquiry by the Court is restricted to the evidence on record and the case pleaded by the parties. It is not permissible to the Court to parties. conjecture and surmise and make out a third case not pleaded by the parties."

<u>निस्तारण बिन्दु सं० 1</u>

क्या प्रार्थिया व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आती है?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम की धारा 2(क) के अनुसार, "व्यथित व्यक्ति" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो कि प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है।

यह अविवादित है कि प्रार्थिया एक महिला है जिसने प्रत्यर्थीगण द्वारा उसके साथ घरेलू हिंसा कारित किए जाने का अभिकथन किया है। इस स्थिति में न्यायालय को मुख्य रूप से यह देखना है कि क्या प्रार्थिया और प्रत्यर्थीगण घरेलू नातेदारी में रहे है।

इस संदर्भ में घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार ''घरेलू नातेदारी'' से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है। जो साझी ग्रहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वार या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है या एक अविभक्त कुटुम्ब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं।

प्रत्यर्थीगण व प्रार्थिया के मध्य इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी सं० 1 के साथ प्रार्थिया का विवाह हुआ था। प्रार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी सं० 1 का विवाह पश्चात साझा गृहस्थी में निवास करना कथित है। प्रार्थिया के कथन स्वयं बतौर पी0 डब्ल्यू0 1, के साक्ष्य शपथपत्र से समर्थित है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया प्रत्यर्थी सं० 1 के साथ घरेलू नातेदारी साबित करने में सफल रही है। अतः न्यायालय के मत में प्रार्थिया प्रत्यर्थी सं० 1 के बाबत व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आती है।

निस्तारण बिन्दु सं० 2

क्या प्रार्थिया "साझी गृहस्थी" में विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण के साथ निवास करती थी?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम की धारा 2(ध) ''साझी गृहस्थी" से ऐसी ग्रहस्थी अभिप्रेत है, जहाँ व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रकम पर रह चुका है, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्तः स्वामित्व या किरायेदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किरायेदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकार, हक, हित या साम्या रखते हैं और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुम्ब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है।

प्रार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी सं० 1 के साथ साझा गृहस्थी में निवास करना कथित है। प्रार्थिया के कथन स्वयं बतौर पी0 डब्ल्यू0 1 के साक्ष्य शपथपत्र से समर्थित है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भी प्रार्थिया का साझी ग्रहस्थी में निवास किया जाना स्वीकृत तथ्य है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में प्रार्थिया ने प्रत्यर्थी सं० 1 के साथ विवाह के पश्चात साझी गृहस्थी में निवास किया है।

<u>**निस्तारण बिन्दु सं० 3**</u>

क्या विपक्षीगण 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई?

घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 में धारा-3 के अनुसार घरेलू हिंसा की परिभाषा निम्न हैः-

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुँचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण और आर्थिक शोषण कारित करना भी है या

(ख) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध माँग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसको अपहानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता हैय या (ग) खंड (क) या खंड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है या

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुँचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। ''

उभयपक्ष द्वारा दिए गए तर्कों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वादिया द्वारा यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादिया के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई। यहाँ पर यह कथन उल्लेखनीय है कि प्रार्थिया द्वारा विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 के साथ साझी ग्रहस्थी में निवास किया जाना साबित नहीं किया गया है। वादिया द्वारा वादपत्र में कथन किया गया है कि प्रतिवादी बहुत ही लालची है उसनें विवाह के कुछ दिन बाद ही वादिनी से कह दिया था कि तू प्राइवेट नौकरी कर तब वादिनी ने विवाहित जीवन के खातिर मंदसौर में ससुराल में रहने के दौरान प्राइवेट नौकरी की। प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में प्रार्थिया के उपरोक्त कथनों का खण्डन कर कथन किया गया है कि प्रार्थिया शादी के पूर्व भी नौकरी करती थी तथा विवाह के उपरान्त वादिया द्वारा स्वयं आत्मनिर्भर होने की इच्छा व्यक्त की गई थी। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादिया द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि "मैने शादी के बाद से नौकरी की है और शादी के पहले भी नौकरी करती थी। शादी के बाद भी नौकरी करी क्योंकि मेरे पति नौकरी नहीं करते थे" वादिया द्वारा अपनी जिरह में यह कथन भी किया गया है कि "मै जब भी एग्जाम देने गई थी मेरे पति साथ गए थे। कुछ समय मेरा भाई भी साथ गया था। यह कहना सही है कि मैं जब एग्जाम देने गई और मेरे पति मेरे साथ नहीं गए तब मेरे बच्चे का ध्यान मेरे पति रखते थे। जब साथ गए तब भी मेरे पति मेरे बच्चे का ध्यान रखते थे।" पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि **वादिया की शादी विपक्षी के साथ सम्पन्न हुई थी। वादिया द्वारा शादी के पूर्व कई वर्ष तक नौकरी की गई तथा यह नौकरी स्वेच्छा से किये जाने का कथन स्वयं वादिया द्वारा किया गया है**। उभयपक्ष के कथनों से यह विदित होता है कि **वादिया शादी से पूर्व भी**

आत्मनिर्भर थी, नौकरी करती थी तथा शादी के पश्चात भी विपक्षी द्वारा वादिया को नौकरी किये जाने, नौकरी हेतु परीक्षा दिये जाने में पूर्णतः सहयोग किया गया। अतः वादिया द्वारा किए गए इस कथन को बल नहीं मिलता है कि विपक्षी द्वारा उस पर जबरदस्ती नौकरी करने हेतु दबाव डाला गया। वादिया द्वारा वाद पत्र में कथन किया गया है कि प्रतिवादी वादिया को हिंसक तरीकों से पीटता था और पशु के समान व्यवहार करता था। विपक्षी द्वारा वादिया के उपरोक्त कथनों का खण्डन किया गया है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि **वादिया द्वारा स्वयं अपनी जिरह में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा मारपीट के संबंध में कोई मेडिकल नहीं कराया गया है। वादिया द्वारा मारपीट की घटना के संबंध में कोई भी प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किए गए हैं। यह सम्भव नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हिंसक तरीके से मारे-पीटे तो उस व्यक्ति को कोई क्षति कारित न हो। वादिया द्वारा कथन किया है कि विपक्षी द्वारा उसे अनेक बार जानवर की तरह मारा-पीटा गया। अतः सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह इन परिस्थितियों में अपना चिकित्सीय परीक्षण कराएगा।** अतः वादिया द्वारा किए गए मारपीट के कथनों को बल नहीं मिलता है। वादिया द्वारा वादपत्र में कथन किया गया है कि "दिनांक 03.03.2019 को प्रतिवादी द्वारा वादिया के साथ अप्राकृतिक तरीके से संभोग किया गया तथा वादिया द्वारा इंकार करने पर प्रतिवादी नें वादिया को मारापीटा जिस कारण वादिया को लगभग 15 दिनों तक दवा लेनी पडी। उल्लेखनीय है कि वादिया द्वारा उक्त कथनों के संबंध में कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य अथवा चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किए गए है। वादिया द्वारा वाद पत्र में कथन किया गया है कि "दिनांक 16.04.2019 को प्रतिवादी वादिनी के क्वार्टर में आया तथा जबरन ताकत के बल पर हिंसक तरीके से अप्राकृतिक सहवास किया रात भर वादिनी दर्द एवं पीडा से छटपटाती रही और दिनांक 18.04.2019 को पुनः प्रतिवादी ने वादिनी के साथ पुनः बुरी तरह मारपीट की। चीख पुकार सुनकर वादिनी के पिता ने वादिनी को बमुश्किल बचाया। विपक्षी द्वारा वादिया के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि "वादिया दिनांक 16.04.2019 को अपने कार्यस्थल पर थी। अतः वादिया द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः झूठ है। वादिया द्वारा अपने कथानक पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि **विपक्षी द्वारा उक्त कथनों के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में आरटीआई से प्राप्त सूचना दिनांकित 15.11.2019 के संबंध में मूल प्रपत्र दाखिल किया गया है। उक्त प्रपत्र के अवलोकन से विदित होता है कि वादिया दिनांक 16.04.2019 अपने कार्यस्थल पर उपस्थित थी। वादिया द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि "दिनांक 16.04.2019 की रात मै अपनी नाइट ड्यूटी पर थी।" ततपश्चात कथन किया गया है कि "मुझे याद नहीं है कि मैं दिनांक 15.04.2019, 16.04.2019 व 17.04.2019 को नाइट ड्यूटी पर थी या नहीं।" वादिया द्वारा विपक्षी के कथनों का स्पष्ट रूप से खण्डन नहीं किया गया है।** वादिया द्वारा अपने वादपत्र में यह भी कथन किया गया है कि "विपक्षी संख्या 1 प्रार्थिया के साथ कार्यस्थल पर कई बार मारपीट, गाली-गलौज कर चुका है।" विपक्षी द्वारा वादिया के उपरोक्त कथनों का खण्डन किया गया है। उल्लेखनीय है कि वादिया द्वारा अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को पत्रावली पर परीक्षित नहीं कराया गया है।

वादिया द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किया गया है कि "मैने इन घटनाओं के संबंध में कोई मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया। यह कहना सही है कि मैने उक्त घटना के संबंध में डॉ० राहुल सारस्वत को बताया था। मैने दिनांक 03.03.2019 को घटना के संबंध में डॉ० राहुल सारस्वत को बताया था। डॉ० राहुल सारस्वत नें मेरा पर्चा लिखा था। मैने उक्त पर्चा पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। ये दाखिल मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पर्चे की मुझे जरूरत पडेगी।" इस स्तर पर यह कथन भी उल्लेखनीय है कि वादिया द्वारा अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में उक्त डॉ० को परीक्षित कराया जाना चाहिए था किन्तु वादिया द्वारा उक्त डॉ० को पत्रावली पर परीक्षित नहीं कराया गया है। वादिया द्वारा अपने वादपत्र में जो भी कथन किए गए है उसे साबित करने हेतु कोई भी ठोस साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए गए है। स्वयं वादिया के साक्ष्य से यह विदित होता है कि विपक्षी वादिया को कई बार परीक्षा हेतु साथ ले गया। परीक्षा के दौरान विपक्षी दोनों के बच्चे का ध्यान रखता था। वादिया द्वारा मारपीट तथा जबरन अप्राकृतिक संभोग के संबंध में कोई भी मेडिकल प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। हिंसक रूप से अप्राकृतिक सहवास तथा मारपीट की घटना कई बार होने के पश्चात भी वादिया द्वारा कोई चिकित्सीय परीक्षा न कराया जाना वादिया के कथानक को संदेहास्पद बना देता है।वादिया द्वारा वाद पत्र में कथन किया गया है कि "दिनांक 18.04.2019 को वादिया के पिता द्वारा वादिया को बमुश्किल बचाया गया। वादिया द्वारा यहाँ पर यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि दिनांक 16.04.2019 की घटना के संबंध में वादिया के पिता वादिया के घर पर उपस्थित थे या नहीं।इस संबंध में वादिया द्वारा अपने पिता को भी साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है। वादिया द्वारा अप्राकृतिक संभोग की घटना दिनांकित 16.04.2019 की रात्रि में होना कहा गया है। जबकि विपक्षी द्वारा दाखिल अभिलेख के अनुसार उक्त दिनांक को वादिया रात्रिकालिन ड्यूटी पर थी। वादिया द्वारा यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सारी घटनाएं उसके साथ मथुरा में कारित होने के पश्चात उसके द्वारा मथुरा में कोई शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया है। वादिया द्वारा वाद पत्र में किए गए कथन तथा साक्ष्य में किए गए कथनों में विरोधाभास है। वादिया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न ही कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है न ही किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित कराया गया है। वादिया द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसके पिता द्वारा उसे उसके पति से बचाया गया। किन्तु उन्हे भी पत्रावली पर परीक्षित नहीं कराया गया है। इस स्तर पर यह कथन भी उल्लेखनीय है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद में विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 को पक्षकार बनाया गया है किन्तु अपने वाद पत्र तथा साक्ष्य में विपक्षी संख्या 1 के अतिरिक्त किसी के संबंध में कोई भी कथन घरेलू हिंसा के संबंध में नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में वादिया यह तथ्य सिद्ध करने में असफल रही है कि विपक्षीगण द्वारा वादिया के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई हो।

निस्तारण बिन्दु सं० 4

क्या प्रार्थिया विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण से वांछित अनुतोष अंतर्गत धारा 18, 19, 20 व 22 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

चूँकि वाद बिन्दु संख्या 3 का निस्तारण करते हुए न्यायालय द्वारा यह मत दिया जा चुका है कि वादिया यह कथानक साबित करने में असफल रही है कि विपक्षीगण द्वारा वादिया के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई हो। अतः वादिया कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में वादिया अपना वाद साबित करने में असफल रही है। तदानुसार प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियामानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(एस०डी०)

(नैन्सी तिवारी)
दिनांकः 30.10.2025 **सिविल जज(जू0 डि0)/त्वरित न्यायालय,**
न्यायालय संख्या-01,आगरा।
J.O. Code- 03408

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एस०डी०)
(नैन्सी तिवारी)
दिनांकः 30.10.2025 **सिविल जज(जू0 डि0)/त्वरित न्यायालय,**
न्यायालय संख्या-01,आगरा।
J.O. Code- 03408